

41



न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

म0 क0 निगरानी - एक / निग0 / विदिशा / भू-रा / 2017 / 4127

मेमो वी काँ जस्टिस  
10/11/17

श्रीमती राजनी अश्विनीशंकर  
द्वारा आज दि. 2/11/17 को प्रस्तुत

वकील ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
दि. 9-11-17

R. V. S.  
2/11/17

- 1-गोविन्द सिंह पुत्र श्री करन सिंह मैना
  - 2-राजेश सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह मैना
- निवासीगण ग्राम रमपुरा तहसील व  
जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

— आवेदकगण

विरुद्ध

- 1-बाबूलाल पुत्र श्री उमराव सिंह मैना
  - 2-भुजबल सिंह पुत्र श्री बाबूलाल मैना
  - 3-दशरथ बाई पत्नी श्री भुजबल सिंह मैना
  - 4-अमर सिंह
  - 5-चरण सिंह
  - 6-ओमप्रकाश पुत्रगण श्री भुजबल सिंह मैना
- निवासीगण ग्राम सगनाखेडी, गजनाखेडी,  
तहसील व जिला विदिशा, हाल निवासी  
अहमदपुर रोड, विदिशा, म0प्र0

— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक  
09.10.2017 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विदिशा, तहसील व जिला  
विदिशा के प्र0क0 17/अपील/2017-18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

निगरानी आवेदन-पत्र अंदर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

3



10/11/17


XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4127

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/02/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता ने बताया कि यह निगरानी 09.10.2017 के अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। इसके उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है। अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाए। आवेदक अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण समाप्त किए जाने में सहमति व्यक्त की। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	

3